कृषि विकास एवं किसान कल्याण संबंधी योजनाएं: राजस्थान के विशेष संदर्भ में

***डॉ. प्रेम शंकर मेनारिया**

सारांश

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य होने के साथ-साथ यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि और इससे संबद्द गतिविधियों पर निर्भर है जो किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत होने के अलावा उनकी आजीविका का साधन भी है। राज्य की अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है जिसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न कृषि संबंधित योजनाएं और कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। प्रस्तुत शोध-पत्र इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए राज्य में कृषि विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह शोध-पत्र मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

कुंजी शब्द: कृषि विकास, किसान कल्याण, योजनाएं, राज्य सरकार, राजस्थान।

*अतिथि व्याख्याता, भूगोल विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है एवं देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इसका अनुपात करीब 10.4 प्रतिशत है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का आठवां बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 5.67 प्रतिशत है। राजस्थान में विविध प्रकार की कृषि-जलवायु विशेषताएं विद्यमान हैं एवं जलवायु के आधार पर राज्य को दस जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि से अरावली श्रेणी राज्य को दो अलग-अलग भागों में विभाजित करती है। राज्य का पश्चिम और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र थार के मरुस्थल (ग्रेट इंडियन डेजर्ट) के रूप में जाना जाता है, जिसमें 11 जिले शामिल हैं और इसमें राज्य का लगभग 61 प्रतिशत क्षेत्रफल आता है।

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य होने के साथ-साथ इसकी दो-तिहाई जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। राज्य की अधिकतर कृषि योग्य भूमि पर मानसून के दौरान ही खेती की जाती है और इसकी अनिश्चितता प्रतिवर्ष बनी रहती है जिसके कारण राज्य में कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। राजस्थान में आजीविका की दृष्टि से कृषि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है एवं राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। अतः इस लिहाज से कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

I. कृषि से संबंधित राज्य नीति:

1) **सीड एक्शन प्लान (2007):** राजस्थान में कृषि पैदावार एवं संबंधित गतिविधियों की आय बढाने हेतु 2007 में सीड एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसमें यह बताया गया है कि राज्य में बीज प्रतिस्थापन दर; पारपंरिक बीजों के स्थान पर संकर तथा उच्च

उत्पादकता वाले बीज की बुवाई की दर बहुत कम है और इसी वजह से राज्य में कृषि पैदावार बहुत कम है। अतः राज्य में कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस रणनीति के अनुसार वर्ष 2007.08 में राज्य में बीज प्रतिस्थापन की दर 20 प्रतिशत थी। अतः 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये। हालांकि वर्ष 2012 तक केवल 21 प्रतिशत तक बीज प्रतिस्थापन दर ही हासिल हो सकी। इसके बाद 12 वीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि विकास एवं पैदावार बढ़ाने हेतु राज्य में बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाना लक्षित किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में गोल्डन रेज़ परियोजना शुरु की गयी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पी.पी.पी.) की तर्ज पर मॉन्सेंटो सहित अन्य निजी कंपनियों से अनुबंध कर दक्षिणी राजस्थान में मक्का के संकर बीज वितरीत किये गये। इस प्रकार के कार्यक्रमों एवं पहलों के परिणामस्वरुप किसानों की बीज संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित होने के साथ बीजों हेतु बाजार पर निर्भरता बढ़ी है।

2) **राज्य कृषि नीति (2013):** राजस्थान में कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2013 में कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति को विशेष रूप से अल्प वर्षा, पानी की कमी, अकुशल जल प्रबंधन प्रथाएं, लगातार सूखे के कारण उत्पादकता में गिरावट, पशुओं हेतु चारे का आभाव एवं इनकी मृत्यु, जलवायु परिवर्तन, कृषि आधारित शुष्क भूमि/शुष्क कृषि को बढ़ावा देना कमजोर मृदा स्वास्थ्य, उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, सूक्ष्म पोषक, कार्बनिक पदार्थों, मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी आदि चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कृषि नीति में सामाजिक न्याय और समानता, खाद्य और पोषण सुरक्षा ;उच्च प्राथमिकताद्ध तथा सभी के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करने, पशुओं के चारे की मांग को पूरा करने, मौजूदा उपज अतंर को पाटना, पानी को कम से कम 30 प्रतिशत बचाने और प्रति यूनिट पानी की उत्पादकता बढ़ानें, सुखा क्षेत्रों को

हरा भरा बनाने, मुख्य फसलें जैसे बाजरा, ग्वार, दलहन, तेल के बीज, मसाले की उत्पादकता बढ़ाने, शहरी क्षेत्रों में अस्थायी और स्थायी प्रवास को हतोत्साहित करने, कृषि में पूंजी निर्माण में तेज़ी लाने, विकास की पहल को लागू करने पर जोर देने की बात करती है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा कृषि कार्यों में आने वाली असुविधाओं को दूर करनें के लिए समय-समय पर अनेक कृषक कल्याणकारी योजनायें संचालित करती रहती है ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का उचित निराकरण कर सके। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार है:-

3) **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** राज्य के किसानों को बैंकिंग समस्याओं से मुक्त कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 1998-99 में राज्य सरकार द्वारा की गई। इस योजना में किसान को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर सहकारी बैंकों से ऋण प्रदान किया जाता है। राज्य में 29 जनवरी 1999 को सिरसी गांव (जयपुर) में रामनिवास यादव को पहला क्रेडिट कार्ड दिया गया।

4) **कृषि यंत्र अनुदान योजना:** इस योजना के तहत सरकार किसानों को कृषि यंत्र जैसे ट्रॉली, थ्रेसर आदि उपकरण खरीदने पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है। इसके लिए व्यक्ति के पास खुद के नाम की जमीन होनी चाहिए। अगर संयुक्त परिवार है तो वैसी स्थिति में उस किसान का नाम जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में होना जरुरी है।

5) **कृषि यंत्र सब्सिडी योजना:** किसानों के लिए इस योजना को 'पहले आओ और पहले पाओ' के आधार पर राज्य सरकार द्वारा चलायी गई है। लेकिन इसमें उन किसानों को

वरीयता प्रदान की जाती है जो एससी-एसटी वर्ग या बीपीएल वर्ग से संबंध रखते हैं या फिर वो किसान जिन्हें आज तक सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। अगर किसान को ट्रैक्टर से संचालित होने वाले कृषि यंत्रों को खरीदना है तो इसके लिए जरुरी है कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन उसी किसान के नाम पर हो और इसमें अनुदान की राशि का भुगतान भी बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है।

6) **किसान डिग्गी के लिए अनुदान योजना:** यह योजना राज्य सरकार द्वारा के नहरी क्षेत्र के इलाके के किसानों के उत्थान के लिए चलायी जा रही है जिसमे डिग्गियों के माध्यम से जल संचय करने का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसान 4 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली डिग्गी बनाता है तो उसके लिए सरकार कुल लागत का आधे तक या अधिकतम 2 लाख रुपए का एक मुश्त अनुदान संबंधित किसान को देती है। इसके लिए किसान के पास न्यूनतम 1 हैक्टेयर सिंचित जमीन होनी चाहिए। डिग्गी निर्माण का काम पूरा होने के 30 दिन के भीतर किसान को पूर्ण भुगतान होता है।

7) **हौज निर्माण योजना:** राजस्थान के कुछ हिस्सों में किसान अपनी फसलों को पानी देने के लिए नहरों या नदियों के पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की समस्या है और कुएँ बहुत गहरे हैं या पानी पंप करने के लिए बिजली मिलने में समस्याएँ हैं। अतः इन किसानों की मदद करने के लिए, राज्य सरकार की यह एक योजना है जिसके तहत राज्य सरकार किसानों को पानी के संग्रहण के लिए एक बड़ा टैंक बनाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। इस योजना के तहत टैंक निर्माण की आधी लागत यानी 75,000 रुपये तक का भुगतान सरकार किसानों को करती है।

8) **फसल बीमा योजना:**कभी-कभी जब पर्याप्त बारिश नहीं होती है या बहुत अधिक बारिश होती है, तो किसानों द्वारा उगाए गए पौधों को नुकसान हो सकता है। अगर आग लग जाए, बर्फीला तूफान आ जाए, या गलत समय पर बारिश हो जाए तो भी उन्हें नुकसान

पहुँच सकता है। ऐसे किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए किसानों को जितनी राशि का बीमा कराया जाएगा, उसका कुछ हिस्सा प्रीमियम का भी भरना होगा। खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा, वाणिज्यिक और उद्यानिकी फसलों के लिए 5 प्रतिशत राशि देनी होगी।

9) **सिंचाई पाइप लाइन योजना:** इस योजना का उद्देश्य ट्यूबवैल या कुए से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इससे पानी की 20-25 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है इस योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 18000/- जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 15000/- जो भी कम हो, इस योजना के अंतर्गत अनुदान देय है।

यह कार्यक्रम किसानों को उनके खेतों के लिए सिंचाई पाइप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देकर मदद करता है। वे पीवीसी या एचडीपीई पाइप के प्रत्येक मीटर के लिए या तो 50 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, या उन्हें कुल लागत का 50% सब्सिडी के रूप में मिलता है। यदि वे एचडीपीई पाइप खरीदते हैं, तो उन्हें प्रति मीटर 20 रुपये मिल सकते हैं। यदि कोई किसान एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फ्लैट ट्यूब पाइप नामक एक विशेष प्रकार का पाइप खरीदता है, तो उन्हें इसके भुगतान में मदद के लिए राज्य सरकार से 15 हजार रुपये तक अतिरिक्त मिल सकता है।

इस योजना की पात्रता शर्तों में किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चालित एक पम्प सैट होना आवश्यक है। संयुक्त स्वामित्व के कुंए पर यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा। परन्तु इसमें भी भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है। संयुक्त स्वामित्व के जल स्त्रोत होने की स्थिति में

सभी साझेदार कृषकों को जल स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जानें में सभी कृषकों को अलग-अलग अनुदान देय होगा।

10) **मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजनाः** इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रारम्भ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के तीन कृषि जलवायुविक खण्डों यथा- कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है।

11) **तारबन्दी फसल सुरक्षा योजना:** नीलगाय व आवारा पशुओ से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए व्यक्तिगत कृषक व कृषक समूह के लिये राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत राज्य योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना/नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑइलसीडस/एन.एफ.एस.एम.-न्यूट्रीसीरियल अन्तर्गत तारबन्दी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। तारबन्दी हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 48,000 रूपये जो भी कम हो एवं अन्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40,000 रूपये जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय है। अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से कृषकों को देय हैं।

12) **लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना:** मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक परिवारों की 55 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जो राजस्थान के निवासी हो इस योजना के लिए योग्य हैं। इसकी पारिवारिक वार्षिक आय 48000 रूपये से कम होने

और 58 से 75 वर्ष की आयु के किसान 750 रूपये तथा 75 वर्ष से अधिक की आयु के किसान को 1000 रूपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।

13) सहकारी किसान कल्याण योजना: इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों को उन्नत तकनीक आधारित कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा अन्य खेती और किसानों के कार्य में कृषि ऋण एवं साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अनुसार किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि और इससे संबद्ध उद्देश्यों के लिए अधिकतम 20 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है और समय पर ऋण चुकता करने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाता है।

14) कृषक कल्याण कोष: राज्य के किसानों के समग्र कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2019 को की गई। इस कोष की प्रारंभिक राशि 1000 करोड़ रूपये थी जिसे अब बढाकर 2000 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

15) कृषक ऋण माफ़ी योजना: किसान कल्याण की इस योजना की शुरुआत तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 07 फरवरी, 2019 को जयपुर जिले के सिरसी गांव से की। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी 08 फरवरी, 2019 को इस योजना को जालौर जिले के सांचोर से की। इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लेने वाले पात्र सीमांत एवं लघु किसानों को 2 लाख रूपये के अवधिपार मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण माफ़ किए जायेंगे। इस योजना में 30 नवंबर 2019 की स्थिति में बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ़ किया जाएगा।

16) फसली ऋण माफ़ी योजना-2018: राज्य सरकार द्वारा राज्य में सहकारी बैंकों से जुड़े 29 लाख से अधिक सीमांत, लघु और अन्य किसानों का 50000 रूपये तक का फसली ऋण माफ़ी की शुरुआत 31 मई 2018 को बांसवाड़ा जिले से की गई। इसके बाद प्रदेशभर में इसके लिए ऋण माफ़ी शिविरों का आयोजन किया गया।

17) मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना: इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 जुलाई 2021 को की गई। इसमें सामान्य श्रेणी ग्रामीण के कृषि बिजली उपभोक्ताओं को बिलिंग माह मई, 2021 से विद्युत बिलों में 1000 रूपये प्रतिमाह अधिकतम 12000 रूपये वार्षिक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इससे किसानों की कृषि बिजली बिलिंग लगभग शून्य हो जाएगी। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा सालाना 1450 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।

18) खेत तलाई योजना: इस योजना का उद्देश्य वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए किसानों द्वारा काम में लेना है। इस योजनान्तर्गत देय अनुदान अ.जा, अ.ज.जा, लघु एवं सीमांत किसानों को कुल लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर अनुदान देय है। प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर 90 प्रतिशत या 1,35,000/- रूपये अनुदान देय है। इस योजना में अन्य श्रेणी के किसानों को कुल लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/- रूपये की राशि कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 80 प्रतिशत या 1,20,000/- रूपये की राशि प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर; जो भी कम हो, की राशि का अनुदान देय है।

19) कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि: इस योजना का उद्देश्य राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिये प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत देय लाभ निम्नलिखित है:-

- कृषि विषय लेकर सीनियर सैकेण्डरी में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रूपये 15000 प्रतिवर्ष की दर से 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा में अध्ययन हेतु देय है।
- कृषि स्नातक शिक्षा जैसे बागवानी, डेयरी, कृषि इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण और श्री करण नरेंद्र बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज, जोबनेर में पढ़ने वाली छात्राओं को अपने

पाठ्यक्रम के लिए प्रति वर्ष 25000 रुपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा 4/5 साल तक किया जाता है।

- कृषि स्नात्कोत्तर शिक्षा में अध्ययन छात्राओं को 25000 रूपये का भुगतान प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए देय है।
- कृषि क्षेत्र में पी.एच.डी. में अध्ययनरत छात्राओं को 40000 रूपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष हेतु दी जाएगी।

20) फव्वारा संयंत्र: किसानों के लिए फव्वारा संयत्र योजना का उद्देश्य सिंचाई पानी की 50-55 प्रतिशत बचत कर इसके कुशलतम उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत एवं लघु सीमान्त अ.जा/अ.ज.जा./महिला कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान देय है। अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है। इस योजना में पात्रता के बारे में कृषक के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि हो।

21) ड्रिप संयंत्र योजना: ड्रिप संयंत्र योजना द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद का कृषि कार्यों में समुचित उपयोग करना है ताकि इससे कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इससे जल की 75-80 प्रतिशत बचत तथा कुशल तकनीक द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना इसके उद्देश्यों में शामिल है।

इस योजना अनुदान सामान्य कृषकों को कुल लागत का 70 प्रतिशत तथा लघु, सीमान्त अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, महिला कृषकों को कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा देय है। इसके अतिरिक्त, सभी श्रैणी के कृषकों को ड्रिप संयंत्र पर अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है। इसकी पात्रता के अंतर्गत किसान के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि हो। इस प्रकार यह योजना कृषि कार्य में उपयोग आने वाले पानी को बचाने के लिए शुरू की गई है।

22) मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना: यह योजना भी ड्रीप संयंत्र योजना के समान ही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई पानी की 55-60 प्रतिशत बचत कर इसके कुशलतम उपयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है ताकि कम पानी और सिंचाई से अधिक उत्पादन किया जा सके।

इस योजना में अनुदान राशि कुल लागत का सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत तथा लघु सीमान्त कृषकों लधु सीमान्त/अ.जा/अ.ज.जा./ महिला कृषकों को 75 प्रतिशत राशि देय है। यह अनुदान किसान को अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक की भूमि के लिए ही देय है। इस योजना की पात्रता में किसान के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है।

23) ग्रीन हाऊस योजना: ग्रीन हाउस योजना का उद्देश्य कृषि जलवायुवीय कारक तापक्रम आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों वा फलों आदि उधानिकी फसलो की खेती कर अधिक आमदनी अर्जित करने हेतू किसानों को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के अंतर्गत अनुदान निम्न प्रकार से देय है: -

निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की दरों में से जो भी कम होने पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए सामान्य श्रेणी के कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान राशि इस योजना के तहत देय है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों के साथ-साथ प्रदेश के समस्त लघु, सीमान्त श्रेणी के कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि इस योजना के तहत देय है। इस योजना की पात्रता में आवेदक किसान के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व एवं सिंचाई के उचित स्त्रोत का होना आवश्यक है।

24) शेडनेट हाऊस योजना: इस योजना का उद्देश्य कृषि जलवायुवीय कारक विशेषकर तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों एवं फलों आदि उद्यानिकी फसलों की खेती कर अधिक आमदनी अर्जित करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

इस योजना में अनुदान निम्न तरह से दिया जाता है:-

निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की दरों में से जो भी कम होने पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए सामान्य श्रेणी के कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ-साथ प्रदेश के समस्त लघु, सीमान्त श्रेणी के कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय है। इस योजना में पात्रता की शर्त आवेदक किसान के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व एवं सिंचाई स्त्रोत का होना आवश्यक है।

25) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना: वर्ष 2012 से संचालित इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगुना करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्त रहें। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के चुनिंदा क्षेत्रों में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उसे कृषि योग्य बनाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत की है। यह योजना वर्तमान में प्रदेश के 18 जिलों में क्लस्टर के रूप में संचालित की जा रही है।

26) मिनिकिट योजना: यह एक राज्य योजना है जिसे राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिनिकिट वितरण का आयोजन राजस्थान के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर किस्म चयन में सहायता के रूप में की जा रही है। इससे कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।

इस योजना की पात्रता शर्तें निम्न हैं:-

- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले किसानों को कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर प्राथमिकता से मिनिकिट का वितरण किया जाता है।
- इन मिनिकिट को महिला के नाम से दिये जाते है; चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो।
- एक ही किसान परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं वितरित किए जायेंगे।
- किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषक उपलब्ध न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी की महिला कृषकों में मिनिकिट का वितरण किया जा सकता है।
- मिनिकिट्स के वितरण हेतु ऐसे कृषकों का चयन किया जाए जिन्हें गत तीन वर्ष में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं किया गया हो।

27) जिप्सम वितरण कार्यक्रम: राज्य संचालित इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को अनुदान देकर जिप्सम का वितरण करना है ताकि भूमि की उर्वरकता को बढ़ाया जा सके। इसमें खेत की मिट्टी की जांच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी.आर. वैल्यू) के आधार पर किया जाता है। पोषक तत्वों के रूप में तिलहनी, दलहनी एवं गेंहूँ की फसलों में 250 किलो प्रति हैक्टर जिप्सम उपयोग किया जाता है। जिप्सम पर जिलेवार निर्धारित कुल जिप्सम दर का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 2 हैक्टेर क्षेत्र हेतु कृषको को देय है।

28) समन्वित कृषि पद्धति अपनाने हेतु सहायता: राज्य सरकार द्वारा किसानों के समन्वित कृषि पद्धति अपनाने को प्रेरित करने के लिए वर्षा आधारित क्षेत्र विकास

कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना में पशु, उद्यानिकी तथा पेड आधारित कृषि पद्धति शामिल है। इस योजना में किसानों को कृषि की सहायक गतिविधियों जैसे खाद बनाना, तलाई बनाना, कृषि उपकरण खरीदना, हरित घर बनाना, मधुमक्खी पालन आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि को समन्वित कृषि पद्धति द्वारा उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी तथा जलवायु अनुकूल बनाना है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में मिट्टी और जल संरक्षण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाना, कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देना और किसानों की दक्षता में वृद्धि करना शामिल है।

इस योजना के लिए पात्र प्रत्येक किसान को 0.25 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम दो हेक्टेयर तक की वित्तीय सहायता का लाभ मिलता है। इसमें छोटे किसानों को शामिल किया जाता है। इस प्रणाली का कार्यान्वयन 100 हेक्टेयर या उससे अधिक के कृषि क्षेत्रों में समूहों पर आधारित है। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों में देय अनुदान निम्नलिखित है:-

A. **पशु आधारित पद्धति: -** इस पद्धति में चारे वाली फसलों के साथ गाय, भैंस, भेड और बकरी खरीद के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। गाय अथवा भैंस खरीद के लिए कुल लागत का 50% अथवा 40000 रूपये प्रति हैक्टेयर और भेड अथवा बकरी खरीद के लिए 25000 प्रति हेक्टेयर का आर्थिक अनुदान देय है।

B. **उद्यानिकी आधारित पद्धति-** इस पद्धति के अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ-साथ संतरा, अमरूद, अनार आदि के उत्पादन हेतु कुल लागत का 50% या 25000 रू. प्रति हेक्टेयर की राशि का अनुदान दिया जाता है।

C. पेड़ आधारित पद्धति- इसमें किसान फसल के साथ-साथ खेत की मेड पर नींबू, करौंधा, पपीता, खेजडी आदि लगाने के लिए कुल लागत का 50% या 15000 रू. प्रति हैक्टयर अनुदान किसानों को देय है।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना विभिन्न तरह से कृषकों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

II. निष्कर्ष एवं सुझाव:

आज भी देश की आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर करती है। पिछले कुछ वर्षों में देश में कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों को बड़े पैमाने पर शामिल न करने से किसानों की आय में कमी आई है। लेकिन राजस्थान सरकार ने किसानों के कल्याण और उनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है ताकि वे ऋणमुक्त होने के साथ-साथ अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके साथ ही सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक संबल के अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चला रखी हैं जिनमें किसानों के लिए पेंशन और अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता शामिल है जिससे वे गरीबी से ऊपर उठ सकें।

हालांकि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इसके उचित प्रसार-प्रचार की आवश्यकता है जिससे किसान इन योजनाओं के बारे में जागरूक बन सकें। इसके साथ ही, संबंधित सरकारी विभागों और उनके अधिकारियों द्वारा भी किसानों को इन योजनाओं के बारे में समय-समय पर जानकारी देनी जरूरी है। अतः राज्य सरकार द्वारा संचालित इन योजनाओं से प्रदेश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- तन्वी विप्रा. (2023). डिमांड फॉर ग्रांट्स 2023-24 एनालिसिस: एग्रीकल्चर एंड फारमर्स वेलफेयर. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, 17 फरवरी, पेज 1-13.
- महेन्द्र सिंह राव एवं नेसार अहमद. (2022). राजस्थान में कृषि की स्थिति, संबंधित नीतियां एवं बजट आवंटन. नई दिल्ली: सीबीजीए.
- हरि मोहन सक्सेना. (2021). राजस्थान का भूगोल. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.
- प्रदीप कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह. (2018). भारतीय कृषि उत्पादन, विपणन एवं उनकी समस्याएं. दिल्ली: बायो साइंटिफिक पब्लिशर.
- के. एल. गोयल एवं तृप्ति गोयल. (2018). राजस्थान की अर्थव्यवस्था. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.
- अनिल कुमार. (2018). कृषि का आधुनिकीकरण एवं पर्यावरण पर इसका प्रभाव. इंडियन जर्नल ऑफ़ रिसर्च, खंड-7, न.-8, अगस्त, पेज 73-74.
- प्रकाश नारायण नाटाणी. (2016). राजस्थान में कृषि विकास. जयपुर: पब्लिकेशन डिवीज़न.
- योजना पोर्टल, राजस्थान सरकार
- वार्षिक रिपोर्ट (2022-23), कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
- आर्थिक समीक्षा (2022-23), राजस्थान सरकार
- प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन (2022-23), कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
- राज्य कृषि नीति (2015), कृषि विभाग, राजस्थान सरकार